सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RJBIL/2000/1717 **RAJASTHAN GAZETTE** ***Extraordinary***
	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 29, सोमवार, शाके 1922 -नवम्बर 20, 2000 *Kartika 29,Monday, Saka 1922 -November 20, 2000*	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान-मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 20, 2000

संख्या प. 2 (30) विधि/2/2000:- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 नवम्बर, 2000 को प्राप्त हुई, एतद्-द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000

<u>(2000 का अधिनियम सं. 21)</u>

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 18 नवम्बर, 2000 को प्राप्त हुई]

सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1
प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भः**- (1) [1] [इस अधिनियम का नाम राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 है]।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) [2] [यह 20 जुलाई, 2000 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा] ।

2. **परिभाषाएं**.- (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) कृषक संगठन के संबंध में, "कार्यक्षेत्र" से किसी सिंचाई प्रणाली के कमान क्षेत्र में की भूमि का ऐसा कोई समीपस्थ खण्ड अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए धारा 23 के अधीन परियोजना प्राधिकारी द्वारा अंकित किया जाये और जो धारा 8 के अधीन सरकार द्वारा अंकित और घोषित किया जाये;

(ख) "कमान क्षेत्र" से किसी सरकारी स्रोत से या तो गुरुत्वीय प्रवाह द्वारा या लिफ्ट सिंचाई द्वारा या किसी भी अन्य पद्धति द्वारा सिंचित या सिंचाई शक्य कोई क्षेत्र अभिप्रेत है और इसमें प्रत्येक ऐसा क्षेत्र सम्मिलित है जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन चाहे कमान क्षेत्र के नाम से जाना जाता हो या किसी भी अन्य नाम से;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से धारा 22 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "वितरण प्रणाली" से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत है,-

(i) सिंचाई के लिए जल के प्रदाय और वितरण हेतु सन्निर्मित समस्त मुख्य नहरें, शाखा नहरें, वितरिकाएं और लघु नहरें;

(ii) सिंचाई के लिए जल के वितरण से संबद्ध समस्त संकर्म, संरचनाएं और साधित्र;

(iii) समस्त जल मार्ग और अन्य संबंधित जल सरणियां और किसी मोघे के नीचे की संरचनाएं;

1. राजस्थान अधिनियम संख्या 35, 2017 (08-11-2017) द्वारा प्रतिस्थापित
2. राजस्थान अधिनियम संख्या 35, 2017 (08-11-2017) द्वारा प्रतिस्थापित

(ङ) सिंचाई प्रणाली के संबंध में, "जल-निकास प्रणाली" के अंतर्गत हैं,—

(i) अपशिष्ट या अधिशेष जल के निस्सारण के लिए जल सरणियां, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम और उनसे संसक्त और आनुषंगिक समस्त संकर्म;

(ii) किसी सिंचाई या वितरण प्रणाली से निकास जल सरणियां और उनसे संसक्त अन्य संकर्म, किन्तु मल अपसारण संकर्म इसके अंतर्गत नहीं है;

(iii) खेत की नालियों से अधिशेष जल को निकालने के लिए समस्त संग्रहण नालियां और मुख्य नालियां; और

(iv) खेत की सभी नालियां और मोघे के नीचे की संबंधित संरचनाएं;

(च) जहां कहीं भी "कृषक संगठन" आया हो, उससे अभिप्रेत और उसमें सम्मिलित होगा,-

(i) सभी जल उपयोक्ताओं से मिलकर बना, धारा 4 के अधीन प्राथमिक स्तर पर यथागठित जल उपयोक्ता संगम;

(ii) धारा 6 के अधीन माध्यमिक स्तर पर यथागठित जल वितरिका समिति; और

(iii) धारा 8 के अधीन परियोजना स्तर पर यथागठित परियोजना समिति;

(छ) "खेत की नाली" के अंतर्गत किसी मोघे के नीचे की भूमि से अपशिष्ट या अधिशेष जल का निस्सारण करने के लिए भू-स्वामी या किसी भी अन्य अभिकरण द्वारा उत्खनित और अनुरक्षित जल सरणी है और उसमें विद्यमान या सन्निर्मित की जाने वाली नालियां, निकास जल सरणियां और वैसे ही अन्य संकर्म सम्मिलित हैं;

(ज) "वित्तीय अभिकरण" से तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन स्थापित या निगमित ऐसा कोई भी वाणिज्यिक बैंक, या कोई भी सहकारी सोसाइटी या कोई भी अन्य बैंक या संगठन अभिप्रेत है जो कृषक संगठन के कार्यक्षेत्र के विकास के लिए धन उधार देता है;

(झ) "वित्तीय वर्ष" से सुसंगत वर्ष की 1 अप्रेल को प्रारम्भ और आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है;

(ञ) "सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ट) "जलीय आधार"' से एक या अधिक जलीय संरचनाओं जैसे हैड वर्क्स, वितरिकाओं, माइनरों, मोघों और ऐसी ही अन्य संरचनाओं द्वारा सेवित किसी सिंचनीय क्षेत्र की पहचान करने के लिए आधार अभिप्रेत है;

(ठ) "सिंचाई प्रणाली" से सरकारी स्रोत से सिंचाई और अन्य सहबद्ध उपयोगों के लिए जल को काम में लाने हेतु वृहत्, मध्यम और लघु सिंचाई प्रणाली अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत जलाशय, ओपन हैड जल सरणी, विचलन प्रणालियां, ऐनीकट, लिफ्ट सिंचाई प्रणालियां, तालाब, कुएं और ऐसी ही अन्य प्रणालियां हैं;

स्पष्टीकरणः-(1) "वृहत् सिंचाई प्रणाली" से वृहत् सिंचाई परियोजना के अधीन ऐसी सिंचाई प्रणाली अभिप्रेत है जिसका सींचने योग्य कमान क्षेत्र 10,000 हैक्टर से अधिक हो;

(2) "मध्यम सिंचाई प्रणाली" से मध्यम सिंचाई परियोजना के अधीन ऐसी सिंचाई प्रणाली अभिप्रेत है जिसका सींचने योग्य कमान क्षेत्र 2,000 हैक्टर से अधिक और 10,000 हैक्टर तक हो;

(3) "लघु सिंचाई प्रणाली" से लघु सिंचाई परियोजना के अधीन ऐसी सिंचाई प्रणाली अभिप्रेत है जिसका सींचने योग्य कमान क्षेत्र 2,000 हैक्टर तक हो;

(ड) "भू-स्वामी" से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन विहित किये गये, तैयार किये गये और रखे गये अधिकार-अभिलेखों में भूमि के अभिधारी/उप-अभिधारी के रूप में अभिलिखित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ढ) "रखरखाव" से सिंचाई प्रणाली पर ऐसे संकर्मों का निष्पादन और नित्यता अभिप्रेत है जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि मानकों के अनुरूप डिजाइन की गयी भौतिक प्रणाली, भू-स्वामियों को कार्यक्षेत्र में जल के समुचित वितरण के लिए क्रियाशील रहे;

(ण) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और अभिव्यक्ति "अधिसूचित" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा,

(त) "कार्य योजना" से किसी सिंचाई प्रणाली के कमान क्षेत्र में सिंचाई के विनियमन के लिए बनायी गयी सिंचाई प्रदायों की रीति और अवधि के ब्यौरे सहित सिंचाई परिदाय की कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

(थ) "औसराबन्दी" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है जल उपयोक्ताओं के एक या अधिक समूहों को ऐसे समूह/समूहों के कमान क्षेत्र के अनुपात में जल आवंटन की कोई वितरण प्रणाली, जिसमें सिंचाई के चक्रक्रम में इस प्रकार से जल आवंटन को अवधि उपदर्शित की गयी हो;

(द) "मोघा" से मुख्य नहर/शाखा नहर/वितरिका/माइनर और जलाशय में या लिफ्ट सिंचाई व्यवस्था से सन्निर्मित ऐसा कोई द्वार अभिप्रेत है जो जल मार्ग में या सीधे किसी भूमि पर जल पहुंचाता है;

(ध) "विहित" से सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(न) "परियोजना प्राधिकारी" से धारा 23 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(प) "बाराबंदी" से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत है प्रदाय का दिन, अवधि और समय उपदर्शित करने वाली किसी अनुमोदित अनुसूची के अनुसार जल उपयोक्ताओं को बारी-बारी से जल आवंटन की कोई वितरण प्रणाली;

(फ) किसी सिंचाई प्रणाली के संबंध में "जल आवंटन" से किसी कृषक संगठन द्वारा, उसके कार्यक्षेत्र में, समय-समय पर अवधारित जल का वितरण अभिप्रेत है;

(ब) "जल मार्ग" से मोघे से जल प्राप्त या वितरित करने के लिए कोई भी विद्यमान या सरकार द्वारा या भू-स्वामियों द्वारा या किसी भी अभिकरण द्वारा सन्निर्मित की जाने वाली जल सरणी अभिप्रेत है, और

(भ) "जल उपयोक्ता" से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत है किसी सरकारी स्रोत से कृषि, घरेलू, पावर, गैर-घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक या अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए जल का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति या निगमित निकाय या कोई सोसाइटी।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त, किन्तु परिभाषित नहीं किये गये, शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 21) में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय 2

कृषक संगठन

3. **जल उपयोक्ता क्षेत्र और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अंकन**.- (1) परियोजना प्राधिकारी अधिसूचना द्वारा प्रत्येक सिंचाई प्रणाली के अधीन के प्रत्येक कमान क्षेत्र का जलीय आधार पर इस प्रकार अंकन कर सकेगा जो प्रशासनिक तौर पर हो और उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जल उपयोक्ता क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगाः

परन्तु लघु और लिफ्ट सिंचाई प्रणाली के अधीन के कमान क्षेत्र के संबंध में, संपूर्ण कमान क्षेत्र, यथासंभव कोई एक जल उपयोक्ता क्षेत्र हो सकेगाः

परन्तु यह और कि परियोजना प्राधिकारी इस धारा के अधीन किसी भी क्षेत्र का अंकन तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता कि उस क्षेत्र की सिंचाई प्रणालियाँ संतोषप्रद कार्यकरण स्थिति में हैं।

(2) प्रत्येक जल उपयोक्ता क्षेत्र, ऐसे कम से कम चार और अधिक से अधिक दस प्रादेशिक क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा जो विहित किये जायें।

4. **जल उपयोक्ता संगम का गठन**:- (1) धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन अंकित प्रत्येक जल उपयोक्ता क्षेत्र के लिए एक जल उपयोक्ता संगम होगा जिसका अपना एक स्थानीय सुभिन्न नाम होगा।

(2) [1] [प्रत्येक जल उपयोक्ता संगम में ऐसे सभी जल उपयोक्ता सदस्य होगें जो ऐसे जल उपयोक्ता क्षेत्र में भू-स्वामी और उनके पति या पत्नी हैं]।

(3) खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट सभी सदस्यों से जल उपभोक्ता संगम के साधारण निकाय का गठन होगा और उन्हें मतदान का अधिकार होगा।

5. **जल उपयोक्ता संगम की प्रबंध समिति और उसके अध्यक्ष और सदस्यों का निर्वाचन**.- (1) प्रत्येक जल उपयोक्ता संगम की एक प्रबंध समिति होगी।

(2) परियोजना प्राधिकारी जल उपयोक्ता संगम को प्रबंध समिति के सदस्यों में से उसके अध्यक्ष का निर्वाचन गुप्त मतदान पद्धति से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा ऐसी रीति से करवाने के इंतजाम करेगा, जो विहित की जाये।

1. राजस्थान अधिनियम संख्या 35, 2017 (08-11-2017) द्वारा प्रतिस्थापित

(3) परियोजना प्राधिकारी किसी जल उपयोक्ता क्षेत्र के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक-एक सदस्य से मिलकर बनने वाली प्रबंध समिति का निर्वाचन गुप्त मतदान पद्धति से ऐसी रीति से करवाये जाने के भी इंतजाम करेगा, जो विहित की जाये:

[1] [परन्तु जहां कोई भू-स्वामी जल उपयोक्ता क्षेत्र के एक से अधिक प्रादेशिक क्षेत्रों में भूमि धारण करता हो वहां वह और उसका पति या पत्नी प्रबंध समिति की सदस्यता के लिए निर्वाचन में केवल एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से भाग लेने का पात्र होगा या होगी, जिसका वह ऐसी रीति से विकल्प दे, जो विहित की जाये:

परन्तु यह और की यदि प्रबंध समिति में कोई महिला निर्वाचित नहीं होती है तो प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा जल उपयोक्ता संगम के सदस्यों में से किसी महिला को सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा]।

(4) यदि, उप-धारा (2) या (3) के अधीन आयोजित किसी निर्वाचन में, प्रबंध समिति का अध्यक्ष, या सदस्य निर्वाचित नहीं किये जाते हैं तो नये निर्वाचन आयोजित किये जायेंगे:

परन्तु परियोजना प्राधिकारी, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, निर्वाचन समय-समय पर स्थगित कर सकेगा।

(5) प्रबंध समिति का अध्यक्ष और सदस्य, यदि धारा 10 के अधीन पहले ही वापस नहीं बुला लिये जाते हैं तो प्रथम बैठक की तारीख से, पाँच वर्ष की कालावधि तक पद पर रहेंगे।

(6) प्रबंध समिति, जल उपयोक्ता संगम की शक्तियों का प्रयोग ओर कृत्यों का पालन करेगी।

6. **वितरण क्षेत्र का अंकन और वितरण समिति का गठन**.-(1) परियोजना प्राधिकारी, सिंचाई प्रणाली के प्रत्येक ऐसे कमान क्षेत्र का, जिसमें दो या अधिक जल उपयोक्ता क्षेत्र समाविष्ट हों, अधिसूचना द्वारा अंकन कर सकेगा और उसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वितरण क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन इस प्रकार घोषित प्रत्येक वितरण क्षेत्र के लिए एक सुभिन्न वितरण समिति होगी, जिसका अपना एक स्थानीय सुभिन्न नाम होगा।

(3) परियोजना प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट दो पदधारियों सहित वितरण क्षेत्र में के जल उपयोक्ता संगमों के सभी अध्यक्ष, जब तक वे धारा 5 की उप-धारा (5) के आधार पर ऐसा पद धारण करें, वितरण समिति के साधारण निकाय का गठन करेंगे:

[2][परन्तु यदि वितरण क्षेत्र में जल उपयोक्ता संगमो में से किसी भी संगम के अध्यक्ष के रूप में कोई महिला निर्वाचित नहीं होती है तो वितरण समिति का साधारण निकाय वितरण क्षेत्र में जल उपयोक्ता संगमो के सदस्यों में से किसी महिला को इसके सदस्य के रूप में सहयोजित करेगा]।

1. राजस्थान अधिनियम संख्या 35, 2017 (08-11-2017) द्वारा प्रतिस्थापित
2. राजस्थान अधिनियम संख्या 35, 2017 (08-11-2017) द्वारा जोड़ा गया

7. **वितरण समिति की प्रबंध समिति और उसके अध्यक्ष और सदस्यों का निर्वाचन:-** (1) प्रत्येक वितरण समिति की एक प्रबंध समिति होगी और उक्त समिति में अध्यक्ष सहित पांच से अनधिक इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

(2) परियोजना प्राधिकारी वितरण समिति के साधारण निकाय के सदस्यों में से प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान पद्धति से ऐसी रीति से करवाये जाने के इंतजाम करेगा, जो विहित की जाये:

परन्तु सरकार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, निर्वाचन समय-समय पर स्थगित कर सकेगी ।

(3) यदि उप-धारा (2) के अधीन आयोजित किसी निर्वाचन में प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्य निर्वाचित नहीं किये जाते हैं तो नये निर्वाचन आयोजित किये जायेंगे।

(3क) [1] यदि किसी वितरण समिति की प्रबंध समिति में कोई महिला निर्वाचित नहीं होती है तो वितरण समिति की प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा वितरण समिति के साधारण निकाय के सदस्यों में से किसी महिला को सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा]।

(4) प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सदस्य, यदि धारा 10 के अधीन पहले ही वापस नहीं बुला लिये जाते हैं तो उनकी पदावधि धारा 6 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट साधारण निकाय की अवधि की सहविस्तारी होगी ।

(5) प्रबंध समिति, वितरण समिति की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी ।

8. **परियोजना क्षेत्र का अंकन और परियोजना समिति का गठन**.- (1) सरकार, सिंचाई प्रणाली के प्रत्येक कमान क्षेत्र या उसके किसी भाग का अधिसूचना द्वारा अंकन कर सकेगी और उसे इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए परियोजना क्षेत्र के रूप में घोषित करेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन घोषित प्रत्येक परियोजना क्षेत्र के लिए एक परियोजना समिति होगी जिसका अपना एक सुभिन्न स्थानीय नाम होगा।

(3) परियोजना क्षेत्र में की वितरण समितियों के सभी अध्यक्ष, जब तक वे धारा 7 की उप-धारा (4) के आधार पर ऐसा पद धारण करें, परियोजना समिति के साधारण निकाय का गठन करेंगे:

[2][परन्तु यदि परियोजना क्षेत्र में वितरण समितियाँ में से किसी भी समिति के अध्यक्ष के रूप में कोई महिला निर्वाचित नहीं होती है तो परियोजना समिति का साधारण निकाय परियोजना क्षेत्र में वितरण समितियों के सदस्यों में से किसी महिला को इसके सदस्य के रूप में सहयोजित करेगा]।

9. **परियोजना समिति की प्रबंध समिति और उसके अध्यक्ष और सदस्यों का निर्वाचन:-** (1) प्रत्येक परियोजना समिति की एक प्रबंध समिति होगी जिसमें अध्यक्ष सहित नौ सदस्य होंगे ।

(2) परियोजना प्राधिकारी, परियोजना समिति के साधारण निकाय के सदस्यों में से प्रबंध समिति के सभापति और आठ सदस्यों का निर्वाचन गुप्त मतदान पद्धति से ऐसी रीति से करवाये जाने के इंतजाम करेगा, जो विहित की जाये:

1. राजस्थान अधिनियम संख्या 35, 2017 (08-11-2017) द्वारा जोड़ा गया
2. राजस्थान अधिनियम संख्या 35, 2017 (08-11-2017) द्वारा जोड़ा गया

परन्तु सरकार लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से निर्वाचन समय-समय पर स्थगित कर सकेगी ।

(3) यदि उप-धारा (2) के अधीन आयोजित किसी निर्वाचन में प्रबंध समिति के सभापति और सदस्य निर्वाचित नहीं किये जाते हैं तो नये निर्वाचन विहित रीति से आयोजित किये जायेंगे ।

(3क) [1][यदि किसी परियोजना समिति की प्रबंध समिति में कोई महिला निर्वाचित नहीं होती है तो परियोजना समिति के साधारण निकाय के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा परियोजना समिति के साधारण निकाय के सदस्यों में से किसी महिला को सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायेगा]।

(4) प्रबंध समिति के सभापति और सदस्य यदि धारा 10 के अधीने पहले ही वापस नहीं बुला लिये जाते हैं तो उनकी पदावधि धारा 8 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट साधारण निकाय की अवधि की सहविस्तारी होगी ।

(5) प्रबंध समिति, परियोजना समिति की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगी ।

10. **वापस बुलाने की प्रक्रिया**:-(1) किसी कृषक संगठन की प्रबंध समिति के सभापति या, यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य को वापस बुलाने का कोई प्रस्ताव, ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाये, कृषक संगठन के ऐसे सदस्यों की, जो मत देने के हकदार हों, कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित नोटिस द्वारा किया जा सकेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन किसी प्रस्ताव का कोई भी नोटिस ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध प्रस्ताव लाया जाना ईप्सित है, पदग्रहण करने की तारीख से एक वर्ष के भीतर नहीं दिया जायेगा।

(2) यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव तत्प्रयोजनार्थ विशेष रूप से बुलायी गयी साधारण निकाय की किसी बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत के समर्थन से पारित हो जाता है तो परियोजना प्राधिकारी उस व्यक्ति को पद से आदेश द्वारा हटा देगा, जिसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित हो गया है और पारिणामिक रिक्ति उसी रीति से भरी जायेगी जिससे कोई आकस्मिक रिक्ति भरी जाती है।

11. **कृषक संगठन की उप - समितियों का गठन**:- कृषक संगठन की प्रबंध समिति इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक संगठन में निहित समस्त या किन्हीं भी कृत्यों के क्रियान्वयन के लिए उप-समितियां गठित कर सकेगी ।

12. **कृषक संगठन का निगमित निकाय होना**:- प्रत्येक कृषक संगठन सुभिन्न नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, उसमें संविदा करने और ऐसे समस्त कार्य, जो उन प्रयोजनों के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन हों, जिसके लिए इसका गठन किया गया है,

1. राजस्थान अधिनियम संख्या 35, 2017 (08-11-2017) द्वारा जोड़ा गया

करने का सामर्थ्य निहित होगा और सभापति या, यथास्थिति, अध्यक्ष के माध्यम से अपने निगमित नाम से वाद लायेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जायेगा:

परन्तु किसी भी कृषक संगठन को अपने में निहित किसी भी संपत्ति को किसी भी रीति से अन्यसंक्रांत करने की शक्ति नहीं होगी।

13. **कृषक संगठन में परिवर्तन**:- सरकार, कमान क्षेत्र में कृषक संगठन के हित में, अधिसूचना द्वारा और इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार,-

(क) किसी भी कृषक संगठन से क्षेत्र को पृथक् करके एक नया कृषक संगठन बना सकेगी;

(ख) किसी भी कृषक संगठन के क्षेत्र को बढ़ा सकेगीः

(ग) किसी भी कृषक संगठन के क्षेत्र को कम कर सकेगी;

(घ) किसी भी कृषक संगठन की सीमाओं को परिवर्तित कर सकेगी; या

(ङ) इस अधिनियम के अधीन जारी की गयी किसी भी अधिसूचना को किसी त्रुटि के सुधार के लिए रद्द कर सकेगीः

परन्तु ऐसा कोई भी पृथक्करण, बढ़ोतरी, कमी और रद्दकरण तब तक प्रभावी नहीं किया जायेगा जब तक उससे प्रभावित हो सकने वाले संगठन को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो।

14. **निरर्हताएं**.-(1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सरकार की निधियों से सहायता प्राप्त कर रही किसी भी संस्था का कर्मचारी है, किसी कृषक संगठन की किसी प्रबंध समिति के निर्वाचन के लिए या सभापति या अध्यक्ष या सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हित होगा।

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किये गये नैतिक अधमता से अंतर्वलित किसी भी अपराध के लिए किसी दण्ड न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो, कृषक संगठन की प्रबंध समिति के निर्वाचन के लिए या उसके सभापति या अध्यक्ष या सदस्य के पद पर बने रहने के लिए अर्ह नहीं होगा।

(3) कोई व्यक्ति कृषक संगठन की प्रबंध समिति के सभापति या अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निरर्हित होगा यदि निर्वाचन के लिए नामनिर्देशन की जांच हेतु नियत तारीख को या नामनिर्देशन की तारीख को वह-

(क) विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है;

(ख) दिवालिया न्यायनिर्णीत किये जाने के लिए कोई आवेदक है या अनुन्मोचित दिवालिया है;

(ग) या तो सरकार को या कृषक संगठन को संदेय भू-राजस्व या जल कर या प्रभारों का व्यतिक्रमी है;

(घ) पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् या किसी भी राज्य या केन्द्रीय सरकार या कृषक संगठन, के साथ की गयी किसी अस्तित्वयुक्त संविदा में या के लिए किये गये किसी भी कार्य में हितबद्ध है:

परन्तु किसी व्यक्ति को ऐसी संविदा या कार्य में केवल इस कारण से हितबद्ध हुआ नहीं समझा जायेगा कि उसका,

(i) किसी कम्पनी में मात्र अंश धारक के रूप में न कि निदेशक के रूप में; या

(ii) स्थावर संपति के किसी भी पट्टे, विक्रय या क्रय या उसके लिए किसी भी करार में; या

(iii) धन के उधार के लिए किसी करार या केवल धन के संदाय के लिए किसी प्रतिभूति में, या

(iv) किसी ऐसे समाचार पत्र में जिसमें कृषक संगठन के कार्यकलापों से संबंधित कोई विज्ञापन समाविष्ट किया गया है,

अंश या हित है।

स्पष्टीकरणः- शंकाओं के निराकरण के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जहां संविदा का पूर्णतः पालन कर दिया जाता है वहां उसे केवल इसी आधार पर अस्तित्वयुक्त नहीं समझा जायेगा कि पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, कृषक संगठन, राज्य या केन्द्रीय सरकार ने संविदाजनित बाध्यता के अपने भाग का पालन नहीं किया है।

(4) प्रबंध समिति का सभापति या अध्यक्ष या सदस्य किसी कृषक संगठन की प्रबंध समिति के निर्वाचन के लिए या उसके सभापति, अध्यक्ष या सदस्य के पद पर बने रहने के लिए निरर्हित होगा, यदि वह प्रबंध समिति की तीन क्रमवर्ती बैठकों से युक्तियुक्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है:

परन्तु इस उप-धारा के अधीन की निरर्हता, ऐसी महिला के मामले में लागू नहीं होगी, जो प्रसव की निकटावस्था के दौरान या प्रसव के पश्चात् तीन माह की कालावधि के दौरान बैठकों में हाजिर होने में असमर्थ है।

(5) दो से अधिक बच्चों वाला कोई व्यक्ति प्रबंध समिति के सभापति या अध्यक्ष या सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए निरर्हित होगा:

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति इस धारा के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक उसके बच्चों की उस संख्या में, बढ़ोतरी नहीं हो जाती जो ऐसे प्रारंभ की तारीख पर है:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर-भीतर एक और बच्चे का जन्म इस धारा के प्रयोजनों के लिए विचार में नहीं लिया जायेगा ।

स्पष्टीकरण: उप-धारा (5) के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को और तत्पश्चात् जहां किसी दम्पत्ति के पूर्ववर्ती प्रसव या प्रसवों से केवल एक बच्चा हो वहां किसी एक ही प्रसव से पैदा हुए बच्चों की किसी संख्या को एक इकाई समझा जायेगा ।

(6) कोई व्यक्ति, जल उपयोक्ता संगम के सदस्य के रूप में बने रहने या कृषक संगठन की प्रबंध समिति के सभापति या अध्यक्ष या सदस्य का पद धारित करने से निरर्हित हो जायेगा, यदि वह संबंधित कृषक संगठन के कार्यक्षेत्र में भू स्वामी नहीं रहता है।

15. **रिक्तियों का भरा जाना.-** (1) धारा 14 के अधीन निरर्हता के कारण या मृत्यु या त्यागपत्र के कारण या अन्य कारण से उत्पन्न कोई रिक्ति नामनिर्देशन द्वारा निम्नलिखित रीति से भरी जायेगी:-

(क) जल उपयोक्ता संगम में की कोई रिक्ति, वितरण समिति की प्रबंध समिति द्वारा विहित रीति से नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी;

(ख) वितरण समिति में की कोई रिक्ति, परियोजना समिति की प्रबंध समिति द्वारा विहित रीति से नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी, और

(ग) परियोजना समिति में की कोई रिक्ति, या तो धारा 35 के अधीन गठित शीर्ष समिति द्वारा या, यथास्थिति, सरकार द्वारा विहित रीति से नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी।

(2) कृषक संगठन के उप-धारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, या अध्यक्ष या सभापति की पदावधि उस समय समाप्त होगी जिस समय, यदि वह सामान्य निर्वाचन से निर्वाचित होता तो, समाप्त होती।

अध्याय 3

कृषक संगठन के उद्देश्य, कृत्य और शक्तियां

16. **उद्देश्य**:- कृषक संगठन का उद्देश्य अपने उपयोक्ताओं के बीच जल वितरण, सिंचाई प्रणाली के पर्याप्त रखरखाव, श्रेष्ठ कृषि उत्पादन के लिए जल के दक्षतापूर्ण और मितव्ययी उपयोग को प्रोन्नत और सुनिश्चित करना, पर्यावरण का संरक्षण करना और कृषकों को सम्मिलित करने, जल बजट और कार्य योजना के अनुसार सिंचाई प्रणाली के स्वामित्व का भाव दिल में जमा देने के द्वारा पारिस्थितिकी संतुलन सुनिश्चित करना होगा।

17. **जल उपयोक्ता संगम के कृत्य**:- जल उपयोक्ता संगम निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्:-

(क) प्रत्येक सिंचाई मौसम के लिए अपने हकदारी क्षेत्र, मृदा और फसल क्रम पर आधारित, कार्य योजना के अनुरूप, बाराबंदी अनुसूची तैयार करना और लागू करना;

(ख) अपने कार्यक्षेत्र में सिंचाई प्रणाली के रखरखाव, विस्तार, सुधार, नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए योजना तैयार करना और अपने कार्यक्षेत्र में, वितरण प्रणाली और खेत की नालियों, दोनों के लिए समय-समय पर संगम की निधियों से ऐसे संकर्म संपादित करना;

(ग) प्रणाली की बाराबंदी अनुसूची के अनुसार अपने कार्य क्षेत्र के अधीन के विभिन्न मोघों के बीच जल के उपयोग को विनियमित करना;

(घ) आवंटित जल के उपयोग में मितव्ययिता को बढ़ावा देना;

(ङ) मांग तैयार करना और जल-प्रभारों का संग्रहण करना;

(च) राजस्व विभाग द्वारा यथाप्रकाशित भू-स्वामियों का रजिस्टर रखना;

(छ) कार्यक्षेत्र के भीतर सिंचाई प्रणाली की सूची तैयार करना और रखना;

(ज) सिंचाई के लिए जल के प्रवाह को मानीटर करना;

(झ) अपने कार्यक्षेत्र में अपने सदस्यों और जल उपयोक्ताओं के बीच विवादों का, यदि कोई हों, समाधान करना;

(ञ) संसाधनों में वृद्धि करना;

(ट) लेखे संधारित करना;

(ठ) अपने लेखाओं की वार्षिक संपरीक्षा करवाना;

(ड) प्रबंध समिति के निर्वाचनों के संचालन में सहयोग करना;

(ढ) ऐसे अन्य अभिलेख रखना, जो विहित किये जायें;

(ण) वितरण और परियोजना समितियों के विनिश्चयों का पालन करना;

(त) साधारण निकाय की बैठकों का संचालन ऐसी रीति से करना, जो विहित की जाये;

(थ) नहर-बांधों और तालाब-बांधों पर ऐसे बांधों को पट्टे पर देकर वृक्षावलि रोपण को प्रोत्साहित करना; और

(द) नियमित जल बजटिंग और कालिक सामाजिक संपरीक्षा का संचालन भी ऐसी रीति से करवाना, जो विहित की जाये।

18. **वितरण समिति के कृत्य**:- वितरण समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

(क) प्रत्येक सिंचाई मौसम के प्रारंभ में, परियोजना समिति द्वारा तैयार की गयी कार्य योजना के अनुरूप, अपने हकदारी क्षेत्र, मृदा और फसल क्रम पर आधारित कार्ययोजना तैयार करना;

(ख) अपने कार्यक्षेत्र के भीतर वितरिकाओं और मध्यम नालियों दोनों के विस्तार, सुधार, नवीकरण, आधुनिकीकरण और वार्षिक रखरखाव के लिए योजना तैयार करना;

(ग) अपने कार्यक्षेत्र में विभिन्न जल उपयोक्ता संगमों के बीच जल के उपयोग को विनिर्दिष्ट करना;

(घ) अपने कार्यक्षेत्र के अधीन के जल उपयोक्ता संगमों के बीच विवादों, यदि कोई हों, का समाधान करना;

(ङ) अपने कार्यक्षेत्र में के जल उपयोक्ता संगमों का रजिस्टर रखना;

(च) अपने कार्यक्षेत्र में नालियों सहित सिंचाई प्रणाली की सूची रखना;

(छ) आवंटित जल के उपयोग में मितव्ययिता को बढ़ावा देना;

(ज) लेखे संधारित करना;

(झ) वार्षिक संपरीक्षा करवाना;

(ञ) ऐसे अन्य अभिलेख रखना, जो विहित किये जायें;

(ट) सिंचाई के लिए जल के प्रवाह को मानीटर करना;

(ठ) साधारण निकाय की बैठकों का संचालन ऐसी रीति से करना, जो विहित की जाये;

(ड) परियोजना समिति के विनिश्चयों का पालन करना;

(ढ) नियमित जल बजटिंग और कालिक सामाजिक संपरीक्षा भी ऐसी रीति से करवाना, जो विहित की जाये;

(ण) प्रबंध समिति के निर्वाचनों के संचालन में सहयोग करना; और

(त) अपने कार्यक्षेत्र में, वृक्षावलि रोपण को प्रोत्साहित करना ।

19. **परियोजना समिति के कृत्य**:- परियोजना समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

(क) प्रत्येक सिंचाई, मौसम के प्रारंभ में संपूर्ण परियोजना क्षेत्र के बारे में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये हकदारी क्षेत्र, जमीन, फसल क्रम पर आधारित किसी योजना का अनुमोदन करना;

(ख) प्रत्येक फसल मौसम की समाप्ति पर अपने कार्यक्षेत्र के भीतर मुख्य नालियों सहित सिंचाई प्रणाली के विस्तार, सुधार, नवीकरण, आधुनिकीकरण और वार्षिक रखरखाव के लिए योजना का अनुमोदन करना:

(ग) अपने कार्यक्षेत्र में की वितरण समितियों और जल उपयोक्ता संगमों की सूची रखना;

(घ) अपने कार्यक्षेत्र में की वितरिका और जल निकास प्रणालियों की सूची रखना;

(ङ) वितरण समितियों के बीच विवादों, यदि कोई हों, का समाधान करना;

(च) जल के उपयोग में मितव्ययिता को बढ़ावा देना;

(छ) लेखे संधारित करना;

(ज) अपने लेखाओं की वार्षिक संपरीक्षा करवाना;

(झ) ऐसे अन्य अभिलेख रखना जो विहित किये जायें;

(ञ) साधारण निकाय की बैठकों का संचालन ऐसी रीति से करना, जो विहित की जाये;

(ट) नियमित जल बजटिंग और कालिक सामाजिक संपरीक्षा भी ऐसी रीति से करवाना, जो विहित की जाये; और

(ठ) अपने कार्यक्षेत्र में वृक्षावलि रोपण को प्रोत्साहित करना।

20. **फीस के उद् ग्रहण और संग्रहण की शक्ति.-** कृषक संगठन, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने, संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने और उसके कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी फीस का उद्ग्रहण और संग्रहण कर सकेगा जो समय-समय पर विहित की जाये।

21. **अधिक्रमण हटाने की शक्ति**.- कृषक संगठन, अपने कार्यक्षेत्र के भीतर सिंचाई प्रणाली से संलग्न संपत्ति के अधिक्रमणों को, ऐसी प्रक्रिया के अनुसार हटायेगा, जो विहित की जाये ।

22. **सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति और उसके कृत्य**.- (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सिंचाई विभाग या कमान क्षेत्र विकास विभाग या राज्य के किसी भी अन्य विभाग के ऐसे अधिकारी को, जिसे आवश्यक समझा जाये, प्रत्येक कृषक संगठन के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी, कृषक संगठन द्वारा लिये गये समस्त विनिश्चयों के, ऐसी रीति से क्रियान्वयन और निष्पादन के लिए संबंधित कृषक संगठन के प्रति उत्तरदायी होगा, जो विहित की जाये, और तकनीकी सलाह उपलब्ध करायेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य तकनीकी पैरामीटरों के अनुसार निष्पादित किये जाते हैं।

23. **परियोजना प्राधिकारी की नियुक्ति और उसके कृत्य**.- (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे अधिकारी को, जिसे आवश्यक समझा जाये, परियोजना क्षेत्र के लिए परियोजना प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त परियोजना प्राधिकारी अपने कार्य-क्षेत्र के भीतर निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगाः-

(क) जल उपयोक्ता क्षेत्र और उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अंकन और वितरण क्षेत्रों का अंकन;

(ख) कृषक संगठन की प्रबंध समिति के सभापति, अध्यक्ष, सदस्यों के निर्वाचन के लिए इंतजाम;

(ग) कृषक संगठन की प्रबंध समिति के सभापति या अध्यक्ष या सदस्य को, जिसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया जाये, वापस बुलाना और ऐसी रिक्ति को एक वर्ष के भीतर-भीतर भरने के लिए इंतजाम; और

(घ) समस्त सक्षम प्राधिकारियों के कृत्यकरण का पर्यवेक्षण ।

अध्याय 4

संसाधन

24. **कृषक संगठन के संसाधन.-** कृषक संगठन की निधियों में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात्:-

(i) कृषक संगठन के कार्यक्षेत्र में संगृहीत जल कर के अंश के रूप में सरकार से प्राप्त अनुदान;

(ii) ऐसी अन्य निधियां, जो राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यक्षेत्र के विकास के लिए मंजूर की जायें;

(iii) उसके कार्यक्षेत्र में कोई भी आर्थिक विकास के क्रियाकलाप चलाने के लिए किसी भी वित्तीय अभिकरण से जुटाये गये संसाधन;

(iv) उसके कार्यक्षेत्र के भीतर सिंचाई प्रणाली से संलग्न सम्पत्तियों और आस्तियों से आय;

(v) सिंचाई प्रणाली के बेहतर प्रबंध के सम्बन्ध में की गयी सेवा के लिए कृषक संगठन द्वारा संगृहित फीस; और

(vi) किसी भी अन्य स्रोत से प्राप्त राशि ।

अध्याय 5

अपराध और शास्तियां

25. **अपराध और शास्तियां** .- जो कोई किसी विधिपूर्ण प्राधिकर के बिना,-

(क) किसी सिंचाई प्रणाली को हानि पहुंचाता है, उसमें परिवर्तन करता है, उसे बढ़ाता है या उसमें बाधा उत्पन्न करता है;

(ख) किसी सिंचाई प्रणाली से जल के प्रदाय में या उससे, उसमें से, उसके ऊपर से या नीचे से जल के बहाव में हस्तक्षेप करता है वृद्धि करता है या कमी करता है;

(ग) सिंचाई प्रणाली के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होते हुए भी उसके जल के दुर्व्यय को रोकने के लिए समुचित पूर्वावधानी बरतने में उपेक्षा करता है या उससे जल के प्राधिकृत वितरण में हस्तक्षेप करता है या जल का अप्राधिकृत रीति से या ऐसी रीति से उपयोग करता है जिससे कि पार्श्वस्थ भूमि जोतों को हानि हो।

(घ) किसी सिंचाई प्रणाली के जल को इस प्रकार दूषित या कलुषित करता है जिससे कि ऐसे प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए वह सामान्यतः उपयोग में लिया जाता है, कम उपयोगी हो जाये;

(ङ) किसी लोक सेवक के प्राधिकार से लगाये गये किसी भी तलचिन्ह या जल मापक या किसी भी अन्य चिह्न या संकेत को बाधा पहुंचाता है या हटाता है; और

(च) किसी भी सिंचाई प्रणाली में की किसी भी मोरी या मोघे या किसी भी अन्य समरूप युक्ति को खोलता है, बंद करता है या उसमें बाधा उत्पन्न करता है या उसको खोलने, बंद करने या उसमें बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है;

दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जायेगा।

26. **अन्य विधियों के अधीन दंड का वर्जन नहीं होना**.- इस अधिनियम की कोई बात किसी भी व्यक्ति को, इस अधिनियम के अधीन या द्वारा दंडनीय किसी भी कार्य या लोप के लिए, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के अधीन अभियोजित या दंडित किये जाने से नहीं रोकेगीः

परन्तु किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जायेगा।

27. **अपराधों का शमन.-** (1) कृषक संगठन, किसी भी ऐसे व्यक्ति से, जो इस अधिनियन के अधीन दंडनीय कोई अपराध कर चुका है या जिसके बारे में यह युक्तियुक्त विश्वास किया जा सकता है कि उसने ऐसा अपराध किया है, ऐसे अपराध के शमन के लिए एक हजार रुपये से अनधिक की कोई राशि स्वीकार कर सकेगा।

(2) ऐसी धनराशि के संदाय पर, उक्त व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में हो, उन्मुक्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार शमन किये गये अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध आगे कोई भी कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अध्याय 6

विवादों का निपटारा

28. **विवादों का निपटारा.-** (1) किसी कृषक संगठन के गठन, प्रबंध, शक्तियों या कृत्यों के बारे में सदस्यों के बीच उद्‌भूत कोई भी विवाद या मतभेद सम्बंधित कृषक संगठन की प्रबंध समिति द्वारा अवधारित किया जायेगा ।

(2) किसी सदस्य और किसी जल उपयोक्ता संगम की प्रबंध समिति के बीच या दो या अधिक जल उपयोक्ता संगमों के बीच उद्‌भूत काई भी विवाद वितरण समिति की प्रबंध समिति द्वारा अवधारित किया जायेगा ।

(3) किसी सदस्य और किसी वितरण समिति की प्रबंध समिति के बीच या दो या अधिक वितरण समितियों के बीच उद्‌भूत कोई भी विवाद या मतभेद परियोजना समिति द्वारा अवधारित किया जायेगा ।

(4) किसी सदस्य और किसी परियोजना समिति की प्रबंध समिति के बीच या दो या अधिक परियोजना समितियों के बीच उद्‌भूत कोई भी विवाद या मतभेद शीर्ष समिति द्वारा अवधारित किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक विवाद या मतभेद ऐसे विवाद या मतभेद के निर्देश की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर-भीतर निपटाया जायेगा ।

29. **अपीलें**.- (1) धारा 28 की उप-धारा (1) के अधीन जल उपयोक्ता संगम की प्रबंध समिति द्वारा किये गये किसी भी विनिश्चय या पारित किये गये किसी भी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति वितरण समिति की प्रबंध समिति को अपील कर सकेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) धारा 28 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन वितरण समिति की प्रबंध समिति द्वारा किये गये किसी भी विनिश्चय या पारित किये गये किसी भी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति किसी परियोजना समिति की प्रबंध समिति को अपील कर सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) धारा 28 की उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के अधीन परियोजना समिति की प्रबंध समिति द्वारा किये गये किसी भी विनिश्चय या पारित किये गये किसी भी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति शीर्ष समिति को अपील कर सकेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन कोई भी अपील व्यथित व्यक्ति को विनिश्चय या आदेश की संसूचना से पंद्रह दिन के भीतर-भीतर की जायेगी।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, अपील फाइल करने की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाते हुए निपटायी जायेगी।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

30. **अभिलेख**.- (1) प्रत्येक कृषक संगठन अपने कार्यालय में निम्नलिखित लेखे, अभिलेख और दस्तावेज रखेगा, अर्थातः-

(क) इस अधिनियम की एक अद्यतन प्रति;

(ख) सिंचाई विभाग के परामर्श से तैयार किये गये संरचनाओं और वितरण नेटवर्क के मानचित्र सहित कृषक संगठन के कार्यक्षेत्र का मानचित्र,

(ग) आस्तियों और दायित्वों का विवरण,

(घ) कार्यवृत्त पुस्तकः

(ङ) प्राप्ति और संदायों को दर्शाने वाली लेखा पुस्तकें;

(च) कृषक संगठन द्वारा माल के समस्त क्रयों और विक्रयों की लेखा पुस्तकें;

(छ) माप पुस्तकों, लेवल फील्ड बुक, संकर्म आदेशों के और उसी प्रकार के रजिस्टर,

(ज) संपरीक्षा रिपोर्टों और जांच रिपोर्टों की प्रतियां; और

(झ) समस्त ऐसे अन्य लेखे, अभिलेख और दस्तावेज, जो कि समय-समय पर विहित किये जायें।

(2) लेखाओं और अन्य अभिलेखों की पुस्तकें कृषक संगठन के सदस्यों की सूचना के लिए खुली रहेंगी।

31. **संपरीक्षा.-** प्रत्येक कृषक संगठन अपने लेखे ऐसी रीति से संपरीक्षित करवायेगा, जैसी विहित की जाये ।

32. **देयों की वसूली**.- मांग पर संदत्त नहीं की गयी किसी कृषक संगठन को संदेय या देय सभी रकमें भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसुलीय होगी ।

33. **बैठकें.-** कृषक संगठन और उसकी प्रबंध समिति की बैठकों का अन्तराल, प्रक्रिया, अध्यक्षता और गणपूर्ति ऐसी होगी, जो विहित की जाये ।

34. **त्यागपत्र**.- (1) कृषक संगठन की प्रबंध समिति का कोई सदस्य संबंधित प्रबंध समिति के सभापति या अध्यक्ष को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रेषित या व्यक्तिशः निविदत्त पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा ।

(2) जल उपयोक्ता संगम की प्रबंध समिति का अध्यक्ष संबंधित वितरण समिति के अध्यक्ष को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रेषित या या व्यक्तिश: निविदत्त पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा ।

(3) किसी वितरण समिति की प्रबंध समिति का अध्यक्ष संबंधित परियोजना समिति के सभापति को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रेषित या व्यक्तिश: निविदत्त पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा ।

(4) किसी परियोजना समिति की प्रबंध समिति का सभापति सरकार को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रेषित या व्यक्तिश: निविदत्त पत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा ।

(5) ऊपर उल्लिखित ऐसा त्यागपत्र, उसकी स्वीकृति की तारीख से या उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर, इनमें से जो भी पहले हो, प्रभावी हो जायेगा।

35. **शीर्ष समिति का गठन और आयुक्त की नियुक्ति**.- (1) सरकार अधिसूचना द्वारा, इतने सदस्यों से, जितने आवश्यक समझे जायें, शीर्ष समिति का गठन कर सकेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन गठित समिति ऐसी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग कर सकेगी जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक हों,-

(क) इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए नीतियां अधिकथित करने के लिए; और

(ख) किन्हीं भी कृषक संगठनों को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उनकी शक्तियों के प्रयोग और उनके कृत्यों का पालन करने में ऐसे निदेश देने के लिए, जो आवश्यक समझे जायें।

(3) सरकार, सक्षम प्राधिकारियों पर, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन उनके कृत्यों के पालन में सामान्य नियंत्रण और अधीक्षण का प्रयोग करने के लिए एक आयुक्त नियुक्त कर सकेगी।

(4) आयुक्त द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियां और पालित किये जाने वाले कृत्य ऐसे होंगे जो सरकार द्वारा विहित किये जायें।

36. **संक्रमणकालीन इंतजाम**.- सरकार, अधिसूचना द्वारा, कृषक संगठन और उसकी प्रबंध समिति की शक्तियों का प्रयोग करने और उसके कृत्यों का पालन करने के लिए, किसी अधिकारी या अधिकारियों की तब तक नियुक्ति कर सकेगी जब तक ऐसा कृषक संगठन सम्यक् रूप से गठित या पुनर्गठित नहीं हो जाता है और ऐसी प्रबंध समिति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन पदग्रहण नहीं कर लेती हैः

परन्तु जहां राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) या राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 (1965 का अधिनियम सं. 13) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कृषक संगठन ने इस अधिनियम के प्रख्यापन से पूर्व प्रणाली के सहभागी सिंचाई प्रबंध के लिए सरकार से कोई समझौता कर लिया है वहां ऐसा संगठन इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास तक संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए जल उपयोक्ता संगम की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करता रहेगा और ऐसे जल उपयोक्ता क्षेत्र के लिए जल उपयोक्ता संगम की प्रबंध समिति छह मास के भीतर-भीतर गठित की जायेगी।

37. **कृषक संगठन के आदेशों और दस्तावेजों का अधिप्रमाणन**.-कृषक संगठन की समस्त अनुज्ञाएं, आदेश, विनिश्चय, नोटिस और अन्य दस्तावेज कृषक संगठन के सभापति या अध्यक्ष या प्रबंध समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्रबंध समिति के किसी भी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे।

38. **त्रुटि या रिक्ति आदि के कारण कार्यों का अविधिमान्य नहीं होना**.- कृषक संगठन की प्रबंध समिति का कोई भी कार्य या कार्यवाही उक्त समिति में किसी भी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

39. **निधियों का निक्षेप और प्रशासन.-** (1) कृषक संगठन अपनी निधियों को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या किसी सहकारी बैंक या किसी डाकघर में रखेगा ।

स्पष्टीकरण:- सहकारी बैंक से कोई प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी या जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक या राजस्थान राज्य सहकारी बैंक अभिप्रेत है ।

(2) निधियां संबंधित कृषक संगठन की प्रबंध समिति द्वारा इस अधिनियम के प्रशासन में उपगत खर्चों की पूर्ति के लिए उपयोजित की जायेंगी न कि किसी अन्य प्रयोजन के लिए ।

40. **निक्षेप निधि**.- (1) कृषक संगठन की प्रबंध समिति उधार लिये गये धन के प्रतिसंदाय के लिए एक निक्षेप निधि रखेगी और निक्षेप निधि में प्रतिवर्ष ऐसी राशि का संदाय करेगी, जो ऐसे उधार लिये गये सम्पूर्ण धन के नियत कालावधि के भीतर-भीतर प्रतिसंदाय के लिए पर्याप्त हो ।

(2) निक्षेप निधि या उसका कोई भी भाग ऐसे उधार को चुकाने में या के लिए लगाया जायेगा जिसके लिए ऐसी निधि सृजित की गयी थी, और जब तक ऐसा उधार पूर्णतया चुक नहीं जाये तब तक किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं लगाया जायेगा ।

41. **बजट.-** प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कृषक संगठन की प्रबंध समिति, समिति की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के संबंध में बजट तैयार करेगी और उसे ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, कृषक संगठन के साधारण निकाय के समक्ष अनुमोदन के लिए रखेगी ।

42. **सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों का संरक्षण.**-इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के बारे में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की जायेंगी ।

43. **कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति**.- यदि इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने या इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् किसी भी कृषक संगठन के प्रथम गठन या पुनर्गठन के बारे में कोई भी कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा अवसर की अपेक्षानुसार ऐसे उपबंध या उपाय कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे ऐसी कठिनाई का निराकरण करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

44. **सोसाइटियों का विलयन**.- सहभागी सिंचाई प्रबंध के कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) या राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 (1965 का अधिनियम सं. 13) के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व रजिस्ट्रीकृत समस्त सोसाइटियां विद्यमान नहीं रहेंगी और उसी कार्यक्षेत्र वाले जल उपयोक्ता संगम में ऐसी तारीख से विलीन हो जायेंगी, जिसको इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार जल उपयोक्ता संगम की प्रबंध समिति बनायी जाये।

45. **कृषक संगठन की प्रबंध समिति का विघटन**.- किसी कृषक संगठन की प्रबंध समिति की ओर से किसी भी गबन, कपट, शक्तियों और कृत्यों के दुरुपयोग या इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भी अन्य कार्य की दशा में परियोजना क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को प्रबंध समिति का विघटन करने और कृषक संगठन के कृत्यों का कार्यान्वयन करने के लिए अंतः कालीन इंतजाम करने की शक्ति होगी परन्तु ऐसे विघटन की दशा में प्रबंध समिति विघटन की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर पुनर्गठित की जायेगी।

46. **व्यावृत्तियां**.- (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन पंचायती राज संस्थाओं और नरपालिकाओं के अधिकारों को या उनमें निहित संपत्तियों को प्रभावित नहीं करेगी।

(2) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात राजस्थान राज्य में भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची के भाग-ग के अधीन भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित अनुसूचित क्षेत्रों में के लघु जल सिंचाई निकायों पर लागू नहीं होगी।

(3) राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) या राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 (1965 का अधिनियम संख्या 13) के अधीन इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व रजिस्ट्रीकृत जल उपयोक्ता संगम द्वारा किये गये समस्त विधिपूर्ण कार्य/विनिश्चय साथ ही सृजित कोई भी आस्तियां और दायित्व इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन संबंधित क्षेत्र के लिए बनाये गये जल उपयोक्ता संगम द्वारा किये हुए या सृजित किये हुए समझे जायेंगे।

(4) वृहत् और मध्यम परियोजनाओं की मुख्य नहर, उसकी शाखाओं और बड़ी वितरिकाओं के प्रचालन और रखरखाव का दायित्व सिंचाई/सिंचित क्षेत्र विकास विभाग का बना रहेगा।

47. **नियम बनाने की शक्ति**.- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए रखे जायेंगे जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि, ऐसे सत्र, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो उक्त नियम तत्पश्चात् केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण तदधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

48. **निरसन और व्यावृत्तियाँ**.- (1) राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबंध में कृषकों की सहभागिता अध्यादेश, 2000 (2000 का अध्यादेश सं. 5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयाँ या आदेश इस अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे ।

हरबन्स लाल,
शासन सचिव ।